कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–6/सीएफओ–एस/2024 दिनांकः फरवरी 17, 2024

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल,
07 किमी0 स्टोन, बहादराबाद–धनौरी रोड,
ग्राम–दौलतपुर, तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–**60843526,** दिनांकः **09.02.2024** जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की द्वारा किया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या दिनांकः 15.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था **फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, टैरिस टैंक क्षमता–11000 ली0, ओवर हैड वाटर टैंक क्षमता–1,00,000 ली0,** पम्प हाउस(**टैरिस पम्प क्षमता–450 एलपीएम,** जॉकी पम्प क्षमता–............. एलपीएम व डीजल पम्प क्षमता–........... एलपीएम) का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक ***स्कूल** भवन* है। भवन में कुल ***G+2*** तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल ***24630*** **वर्ग मी0** है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area*)* ***8191.84*** **वर्ग मी0** है। भवन/संस्थान की ऊँचाई ***11*** **मी0** है। भवन/संस्थान में **बेसमेन्ट है**/ *नहीं* है, जिसका क्षेत्रफल **176 वर्ग मी0** भवन/संस्थान का पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग ***12*** **मी0** है, जो कि मुख्य मार्ग (*14* मी0 चौड़ाई) से **44 मी0** दूरी पर है। संस्थान में सैट बैक अग्र–**15 मी0,** पृश्ठ–**06 मी0,** पार्श्व 1–**06 मी0** एंव पार्श्व 2–**06** मी0 है। भवन/ संस्थान में कुल ***08*** जीना हैं। भवन में लिफ्ट है/ ***नहीं* है,** भवन में **रैम्प है**/नही है जिसकी ल0–**68.58 मी0** व चौ0–**1.82 मी0** है। भवन के कोरिडोर की ल0–**68.88 मी0** व चौ0–**3.65 मी0** है, भवन में कुल **03** आपातकालीन द्वार है तथा ट्रैवलिंग डिस्टेन्स **35 मी0** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/xx-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में **दिनांकः 17 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2027 (03 वर्ष) तक** के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. **संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।**
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. **संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।**

क्रमशः–2–

9. **संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।**
10. **प्रत्येक 03 माह में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के मेन्टीनेंस की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।**
11. **संस्थान के मानचित्र में प्रदशित सेट बैक में स्थाई व अस्थाई निमार्ण किये जाने एवं सेफ्टी मानकों मे परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
12. संस्थान में अग्नि"मन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।